# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2017 नामान्तरकरण अपील

1. मोहनलाल पुत्र रामकिशोर दत्तक पुत्र श्री नारायण उर्फ श्रीया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम संवास तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी संवास तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सिकराय दिनांक 6. 2.2012 प्रार्थना पत्र अशोक कुमार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु।

उपस्थिति :– 1. श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री पुनीत कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।

–:आदेश:– दिनांक 21.03.2018

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि मृतक श्रीनारायण उर्फ श्रीया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम संवास तहसील सिकराय का रहने वाला था। उसके द्वारा अपने जीवन काल में विवाह नही किया था तथा कुंवारा था उसके द्वारा अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में गोद ले लिया था तथा मृतक अपीलान्ट के पास ही रहता था। अपीलान्ट ने उक्त श्रीनारायण की पुत्रवत सेवा की है तथा उक्त मृतक श्रीनारायण अपीलान्ट का सगा चाचा था जिसके द्वारा एक वसीयत अपीलान्ट के हक में निष्पादित कर कार्यालय उपपंजीयक सिकराय के यहां 24.7. 1991 को पंजीकृत करवा दी जिसमे उसके द्वारा वसीयत में चल अचल सम्पत्ति मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट के हक में कथन किया था। दिनांक 3.10.2008 को उक्त श्रीनारायण उर्फ श्रीया का स्वर्गवास हो गया। अपीलान्ट ही उक्त श्रीनारायण का वसीयती वारिस है। किन्तु मृतक श्रीनारायण के फर्जी हस्ताक्षर कर एवं उसकी मृत्यु से पूर्व की दिनांक 2.10.2008 का अंकन कर एक फर्जी अंतिम इच्छा पत्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने हक में लिख लिया। उक्त अंतिम इच्छा पत्र के आधार पर उसने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में एक दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर मृतक श्रीनारायण द्वारा छोडी गयी कृषि भूमि खसरा नं0 93/2 व 94/1 पर स्थगन प्राप्त कर लिया जिससे अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण नहीं हो सका। उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने एक फर्जीवाडा कर न्यायालय एडीजे महोदय बांदीकुई के यहां उक्त अंतिम इच्छा पत्र के आधार पर प्रोबेट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र जारी कर दिया। जिसमे अपीलान्ट की कोई तामील भी नहीं करवायी तथा दिनांक 9.11.11 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया तथा दिनांक 9.1.2012 को प्रोबेट भी जारी करवा लिया। रेस्पोडेन्ट नं0

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

1 ने मृतक श्रीनारायण की भूमि स्वयं के नाम लगाने के लिये नामान्तरकरण अपने हक में खुलवाने का प्रयास शुरू कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 11.1.2012 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के यहां एक प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2012/89 दिनांक 12.1.2012 द्वारा पटवारी हल्का मरियाडा को आदेशित किया कि नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थी मोहनलाल के ध्यान में लाया जावे तथा उक्त कार्यवाही करते समय प्रार्थी को अवश्य अवगत करावे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थी अपीलान्ट को सुने दिनांक 6.2.2012 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर मृतक श्रीनारायण की खातेदारी भूमि आराजी ख0 नं0 93/2 व 94/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का हिस्सा 1/2 का नामान्तरकरण अशोक कुमार रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में खोलकर स्वीकृत करने के आदेश पारित कर पटवारी हल्का को पालनार्थ आदेश जारी कर दिये। उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.2.2012 के विरूद्ध अपील अपीलान्ट की ओर से पेश की गयी है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। पूर्व में प्रस्तुत अपील नं0 2/2012 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.3.2014 द्वारा नामा0 अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2012 को यथावत रखते हुये प्रकरण दाखिल दफ्तर किया गया था साथ ही दोनो पक्षों को पाबन्द किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् दोनो ही पक्ष निर्णय की प्रति के साथ इस न्यायालय को सूचित करेंगे एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वाजदायरी स्वीकार होकर उक्त अपील पुनः नम्बर पर ली गयी। तत्पश्चात् अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा ग्राम संवास स्थित प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नं. 93/2, 94/1 के हिस्सा 1/2 के खातेदार श्रीनारायण की मृत्यु दिनांक 03.10.2008 से एक दिवस पूर्व फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त फर्जी वसीयत का न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई से प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 09.01.2012 जारी करवाया जाकर उक्त प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 403 दिनांक 14.02.2012 तहसीलदार सिकराय द्वारा तस्दीक करवा लिया। उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 403 निरस्त योग्य है। मृतक श्रीनारायण द्वारा दिनांक 24.07.1991 को ही अपीलान्ट के हक में एक वसीयत पत्र उपपंजीयक सिकराय के यहां पंजीयन करवाया था। उक्त पंजीकृत वसीयत अपीलान्ट के हक में निष्पादित की गई है। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के न्यायालय से दिनांक 09.01.2012 को जारी किये गये प्रोबेट प्रमाण पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित नही कर, अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रोबेट को रिवॉक करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 14.02.2012 ग्राम संवास तहसील सिकराय जिला दौसा को निरस्त फरमावे अथवा प्रकरण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई में विचाराधीन होने से कार्यवाही स्थगित फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित नही कर, अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैशन

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष प्रोबेट को रिवॉक करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। किन्तु प्रकरण में वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रचलित नहीं है। अपीलांट द्वारा मात्र प्रकरण में देरी करने की वजह से उक्त तथ्य को बार–बार दोहराया जा रहा है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय बांदीकुई द्वारा प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.2.2012 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा दिनांक 09.11.2011 को प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित कर दिनांक 09.01.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 01 के हक में जारी करने पर उक्त प्रोबेट के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 के हक में अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.2012 पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाये जाने से अपील स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.2012 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2012 भी निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा